<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/टी.ए./11984/2003/झुन्झनू</u>

1. प्रभाती लाल 2.पालाराम पुत्रान स्व. कालूराम मेघवंशी(चमार)निवासी धूलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झनू

अपीलान्ट

बनाम

1. छोटूराम पुत्र सुरजा राम
2. रोहताश 3.श्रीराम 4.लक्षमण पुत्रान सुरजाराम
5. बंशीधर 6. हनुमान 7.रमेश 8.रघुवीर पुत्रान मनोहर
9. मु.भगवानी बेबा मनोहर
10. सुमेर पुत्र छैलू चमार समस्त जाति मेघवंशी (चमार) निवासी धूलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झनू (प्रत्यर्थी संख्या 3,7,8,10 का नाम तर्क)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला झुन्झनू

रेस्पोडेन्ट

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री आत्माराम शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राधेश्याम पुरोहित अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

श्री ओ.पी.भट्ट उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 10.10.2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 30–9–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद विभाजन एवं घोषणा का (वाद संख्या153/90) उनवानी छोटूराम बनाम प्रभाती वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत पेश किया। इसी आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने भी एक वाद संख्या 63/91 उनवानी प्रभातीलाल बनाम छोटूराम इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को इकजाई कर अपने निर्णय दिनांक 8–3–2000 से प्रत्यर्थी संख्या 1 का वाद खारिज कर दिया और अपीलार्थी का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 2से 4 ने राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–9–03 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–3–2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का लोकस नहीं था। प्रकरण

में विवाद केवलमात्र अपीलार्थी वादीगण एवं प्रत्यर्थी प्रतिवादी के मध्य ही था। छोटूराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलार्थी का वाद डिक्री किये जाने की सहमति दी थी एवं राजीनामे में छोटूराम ने यह तथ्य अंकित किया था कि विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के साथ साथ उसके नाम गलत अंकित हो गई जिसे दुरूस्त कर सम्पूर्ण भाग का वादीगणको खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद यह है कि छोटू प्रतिवादी कालू का पुत्र है या सुरजिया का। इस सम्बन्ध में स्वयं छोटू ने यह तथ्य लिखकर दिया है कि वह सूरजा का पुत्र है एवं कालू के दो ही पुत्र प्रभाती लाल एवं पालाराम पैदा हुये। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छोटू का एवं उसके मामा का शपथ पत्र वोटर लिस्ट, नामान्तरकरण तथा जिला विकास अभिकरण की सूचि प्रस्तुत की थी जिसमें छोटू को सुरजा का पुत्र होना अंकित किया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता कालूराम 1/3भाग का खातेदार था। कालू के अपीलार्थीगण अकेले एकमात्र वारिस हैं।अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु सम्बत 1997 में हो गई। कालू की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण की माता जयकौरी ने कालू के भाई सुरजिया के घर नाता कर लिया तथा मु. जयकोरी एवं सुरजिया के नुत्फे से प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 पैदा हुये। विवाद केवलमात्र छोटू एवं अपीलार्थीगण के मध्य ही है। स्वयं छोटू ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अपने को सुरजिया का पुत्र होना माना जिसे नकारने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि नाथिया,कालिया व सुरजिया के वारिसान के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष जबाब दावे में छोटू को कालू का पुत्र अंकित किया है न कि सुरजिया का। छोटू ने भी कालू का पुत्र होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत ने छोटू को कालू का पुत्र माना है। दिनांक 8–3–2000 को वादी एवं छोटू ने राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जबकि शेष प्रतिवादीगण ने राजीनामा नहीं किया। वकील की सहमति लिखी है जो कहीं भी अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकीयात पर साक्ष्य लिये बिना तनकीवार विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद विभाजन एवं घोषणा का (वाद संख्या153/90) उनवानी छोटूराम बनाम प्रभाती वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत पेश किया। इसी आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण ने भी एक वाद संख्या 63/91 उनवानी प्रभातीलाल बनाम छोटूराम इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को इकजाई कर अपने निर्णय दिनांक 8–3–2000 से प्रत्यर्थी संख्या 1 का वाद खारिज कर दिया और अपीलार्थी का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 2से 4 ने राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–9–03

से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद कथनों को अस्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार तनकीयात कायम की हैं लेकिन उसके बाद उभय पक्ष की साक्ष्य नही ली गई और निर्णय राजीनामा दिनांक 8–3–2000 के आधार पर पारित किया है। राजीनामे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजीनामा केवल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 छोटू के मध्य हुआ है। शेष प्रतिवादीगण का जबाब दावा राजीनामे के अभाव में यथावत रहता है। विचारण न्यायालय को पक्षकारान की साक्ष्य प्राप्त कर तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिये था। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य